

आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं।  
अतः इतला होकर पत्रावली आईत्या बास्ते  
अग्रिम कार्यवाही दि. 22/11/19 को पेश हो

सहायक कलेक्टर (SDO)  
शिव

21/6/19 पत्रावली पेश हुई

उक्त पत्र अधिवक्ता उपा.

पत्रावली वस्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दि. 11/7/19  
को पेश हो

सहायक कलेक्टर  
(SDO) शिव

11/7/19 पत्रावली पेश हुई

प्राथमिक अधिवक्ता अनु. विप्राणी सं. 17 के अधिवक्ता उपा.  
शेष विप्राणीगण अनु.

विप्राणी सं. 17 के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली  
का निपटारा किया गया।

पृथक् में दिनांक 20/6/19 को प्राथमिक के पत्र में  
एकतरफा स्थगन जारी किया गया है एक तरफा स्थगन  
आदेश जारी करने पर आदेश 39 नियम 3 CPC  
के तहत 80 दिवस के भीतर विप्राणीगण को नैसर्गिक  
रीजिस्ट्री एडी से निजवारे जाने आवश्यक है किन्तु  
इस पत्रावली में दि. 6/5/18 को रीजिस्ट्री एडी  
नैसर्गिक बंजे जाने के आदेश के बावजूद आज  
दिन तक नहीं बंजे गये हैं।

प्राथमिक अपने प्राथमिक पत्र के प्रति गम्भीर  
नहीं है अतः प्राथमिक प्राथमिक पत्र अल्प पावना  
अल्प हाजरी में स्थगन किया जाता है।  
पत्रावली केवल सुमात्र होकर दायिमल  
दाखल हो।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) शिव

